

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 34
प्रत्यक्ष कर

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	...	938.49	938.49	...	922.49	922.49	...	1067.36	1067.36	
पूंजी	...	100.00	100.00	...	85.00	85.00	...	105.00	105.00	
जोड़	...	1038.49	1038.49	...	1007.49	1007.49	...	1172.36	1172.36	
1. आय कर का संग्रह	2020	...	736.09	736.09	...	723.55	723.55	...	765.01	765.01
2. निगम कर का संग्रह	2020	...	113.25	113.25	...	111.31	111.31	...	117.69	117.69
3. व्यय कर का संग्रह	2020	...	4.22	4.22	...	4.15	4.15	...	4.39	4.39
4. ब्याज कर का संग्रह	2020	...	4.69	4.69	...	4.61	4.61	...	4.88	4.88
5. धन कर का संग्रह	2031	...	75.08	75.08	...	73.80	73.80	...	78.02	78.02
6. अन्य करों का संग्रह	2031	...	5.16	5.16	...	5.07	5.07	...	5.37	5.37
7. अतिरिक्त कर की वापसी पर ब्याज	2020	92.00	92.00
8. तैयार-निर्मित आवास की खरीद										
8.01 कार्यालय भवन	4059	...	60.00	60.00	...	75.00	75.00	...	85.00	85.00
8.02 आवासीय भवन	4216	...	40.00	40.00	...	15.00	15.00	...	25.00	25.00
जोड़		...	100.00	100.00	...	90.00	90.00	...	110.00	110.00
9. आय कर अधिनियम के अंतर्गत अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण										
9.01 सकल व्यय	4075	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00
9.02 घटाइए-बिक्री प्राप्तियां	4075	...	-10.00	-10.00	...	-15.00	-15.00	...	-15.00	-15.00
निवल		-5.00	-5.00	...	-5.00	-5.00
कुल जोड़		...	1038.49	1038.49	...	1007.49	1007.49	...	1172.36	1172.36

1-6. इस मांग में आयकर विभाग की आवश्यकता के लिए प्रावधान है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए तथा इकट्ठे किए गए सभी प्रत्यक्ष करों अर्थात् आय पर कर (कार्पोरेट क्षेत्र की आय शामिल है), सम्पदा शुल्क, धन कर और उपहार कर संबंधी कार्य को प्रशासित करता है। संग्रहण के प्रयोजनार्थ देश को कार्यक्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इस विभाग में बड़े पैमाने पर अपवंचन के मामलों की छानबीन करने, निरीक्षण, अनुसंधान, सांख्यिकी और प्रकाशन के लिए पृथक निदेशालय भी हैं। संशोधित अनुमानों में कमी व्यय में किफायत के अनुपालन के कारण है। बजट अनुमान 2001-2002 में संशोधित अनुमान की तुलना में वृद्धि सामान्य है। ब.अ. 2001-2002 में

अधिक्य कर की वापसी पर ब्याज के लिए 92 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। अभी तक कर वापसी में ब्याज शामिल किया जाता था तथा इसे सकल कर राजस्व में से घटा दिया जाता था।

8. यह प्रावधान प्रत्यक्ष कर संगठन के संबंध में तैयार-निर्मित कार्यालय भवनों और तैयार-निर्मित आवासीय भवनों की खरीद से संबंधित है।

9. यह प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XXC में यथा परिकल्पित, केन्द्रीय सरकार द्वारा अचल सम्पत्तियों को पूर्वक्रयाधिकार के अनुसार खरीदने से संबंधित है। ऐसे क्रयों का आदेश निर्धारित सीमा से अधिक स्पष्ट प्रतिफल वाली संपत्तियों के संबंध में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा दिया जाता है।